सिंचाई खण्ड, उन्नाव

खरीफ रोस्टर 1425 फसली वर्ष 2017–18 शारदा नहर प्रणाली

सप्ताह प्रारम्भ 26–03–2017 से 17–09–2017 तक

हरदोई ब्रान्च प्रणाली

डिस्चार्ज क्यूसेक में

लम्बाई किमी0 में

क्र0 सं0	नाम नहर प्रणाली	लाभान्वित जनपद	परिकल्पित जनपद	शीर्ष की वर्तमान वास्तविक	लम्बाई किमी0 मुख्य	लम्बाई किमी0 प्रणाली	शीर्ष से चलने का दिन	25.03.2017	01.04.2017	08.04.2017	15.04.2017	22.04.2017	29.04.2017	06.05.2017	13.05.2017	20.05.2017	27.05.2017	03.06.2017	10.06.2017	17.06.2017	24.06.2017	01.07.2017	08.07.2017	15.07.2017	22.07.2017	29.07.2017	05.08.2017	12.08.2017	19.08.2017	26.08.2017	02.09.2017	9.09.2017	16.9.20.17
1.	हरदोई ब्रांच किमी0 158.4	हरदोई	2400	2200	–	–	शनिवार	–	–	–	–	1800	1900	1900	–	–	–	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
2.	मरसा राजबहा	"	20	15	11.27	16.61	प्रातः 8 बजे	–	–	–	–	–	–	15	–	–	–	15	–	15	–	15	–	15	–	15	–	15	–	15	15	–	15
3.	सोनहार राबहा	"	60	50	25.75	58.49	"	–	–	–	–	–	50	–	–	–	–	–	40	–	40	–	40	–	50	–	50	–	40	–	40	–	40
4.	बरहस माइनर	"	9	9	5.73	–	"	–	–	–	–	9	–	9	–	–	–	–	9	–	9	–	9	–	9	–	9	–	9	–	9	–	9
5.	फिरोजपुर माइनर	"	7	7	9.06	–	"	–	–	–	–	7	–	7	–	–	–	–	7	–	7	–	7	–	7	–	7	–	7	–	7	–	7
6.	बाँसा राजबहा	"	20	15	11.26	–	"	–	–	–	–	15	–	15	–	–	–	15	–	15	–	15	–	15	15	–	15	–	15	–	15	–	15
7.	नसीरपुर माइनर	"	15	10	7.25	–	"	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	10	–	10	–	10	–	10	10	–	10	–	10	10	–	10	–
8.	सुल्तानपुर माइनर	"	8	8	5.36	–	"	–	–	–	–	08	–	8	–	–	–	–	8	–	8	–	8	–	8	–	8	–	8	–	8	–	8
9.	कबीरपुर राजबहा	उन्नव	40	30	11.90	43.00	"	–	–	–	–	–	–	30	–	–	–	30	–	30	–	30	–	30	–	30	–	30	–	30	–	30	–
10.	महोलिया राजबहा	"	45	35	14.80	41.00	"	–	–	–	–	–	35	–	–	–	–	30	–	30	–	30	–	30	–	30	–	35	–	35	–	30	–
11.	तेमोरिया राजबहा	"	15	10	11.26	–	"	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	10	–	10	–	10	–	10	10	–	–	10	–	10	10	–	10
12.	सादिकपुर माइनर	"	5	3	3.62	–	रविवार	–	–	–	–	3	–	3	–	–	–	–	3	–	3	–	3	–	3	–	3	–	3	–	3	–	3
13.	अतरधनी माइनर	"	9	4	4.12	–	"	–	–	–	–	4	–	4	–	–	–	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4
14.	सादीपुर माइनर	"	5	4	2.61	–	"	–	–	–	–	4	–	4	–	–	–	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4
15.	कुरसठ राजबहा	"	50	45	20.70	43.50	"	–	–	–	–	–	45	–	–	–	–	30	–	30	30	–	30	30	–	30	–	30	–	30	–	30	–
16.	पिसारी माइनर	"	15	10	10.46	–	"	–	–	–	–	10	–	10	–	–	–	–	10	–	10	–	10	–	10	10	–	10	–	10	–	10	–
17.	बारीधाना माइनर	"	9	7	7.04	–	"	–	–	–	–	7	–	7	–	–	–	–	7	–	7	–	7	–	–	–	7	7	–	–	7	7	7
18.	पतौली माइनर	"	9	4	3.62	–	"	–	–	–	–	4	–	4	–	–	–	–	4	–	4	–	4	–	–	–	4	4	4	–	4	4	4
19.	मोहीउद्दीनपुर माइनर	"	4	4	4.82	–	"	–	–	–	–	4	–	4	–	–	–	–	4	–	4	–	4	–	–	–	4	4	4	–	4	4	4
20.	ऊगू माइनर	"	21	15	8.65	8.94	"	–	–	–	–	–	–	15	–	–	–	–	15	–	15	–	15	–	15	–	15	–	15	–	15	15	15
21.	बम्हना राजबहा	"	45	40	15.59	19.80	"	–	–	–	–	40	40	–	–	–	–	30	30	30	–	35	–	30	–	30	30	–	30	30	–	30	–
22.	रामपुर माइनर	"	12	8	6.23	–	"	–	–	–	–	8	–	8	–	–	–	–	8	–	8	8	8	–	8	8	–	8	–	–	8	–	8
23.	मोतीटीकुर माइनर	"	17	17	10.28	–	"	–	–	–	–	17	–	17	–	–	–	–	17	–	17	17	17	–	17	17	–	17	17	–	17	–	17
24.	आलीपन ब्रान्च शीर्ष	"	743	650	41.80	–	प्रातः 8 बजे	–	–	–	–	550	500	500	–	–	–	550	500	500	500	550	600	500	500	600	550	550	500	500	400	500	500
25.	पुरवा ब्रान्च शीर्ष	"	800	800	83.80	–	सायं 4 बजे	–	–	–	–	500	600	600	–	–	–	550	550	550	600	550	600	600	500	600	550	550	500	600	700	600	600
26.	उन्नाव ब्रान्च शीर्ष	"	499	499	93.50	–	सायं 4 बजे	–	–	–	–	400	400	400	–	–	–	400	450	450	400	400	300	400	500	300	400	400	500	400	400	400	400
27.	हरहोर्द शाखा की नहरो का योग	"	400	350	–	–	–	–	–	–	–	150	170	170	–	–	–	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
28.	हानि एवं कुलाबे	"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200	230	230	–	–	–	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230

संकेत – नहरों के सामने अंकित संख्या का तात्पर्य नहर चलाने की क्षमता एवं "–" का तात्पर्य नहर बन्द रहने से है।

. हरदोई शाखा के इस खण्ड की सीमा मील 99.0 पर उपलब्ध जल के अनुसार यह रोस्टर तैयार किया है। यदि किसी सप्ताह में अनुमानित की अपेक्षा जल उपलब्धता में कमी होगी तो रोस्टर में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

. रोस्टर में दर्शाई गयी नहरों के चलाने में किसी भी कारण से परिवर्तन होने में अथवा किसी भाग में पानी उपलब्ध होने की दशा में उपभोक्ताओं की फसल की क्षतिपूर्ति के लिए सिंचाई विभाग उत्तरदायी नही होगा।

. प्रणाली के अन्तिम किस्सो में कृषकों द्वारा अवैधानिक तरीके से सिंचाई करने की दशा में विशेषज्ञ निम्न लिखित नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुँचाना संदिग्ध है जिसमे होने वाली किसी प्रकार की क्षति हेतु विभाग उत्तरदायी नही होगा इस क्षेत्र के कृषकों से अनुरोध है कि वे अपने निजी साधनों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें।

जिन नहरो के अन्तिम छोर मे पानी पहुँचाना संदिग्ध है। उन पर पानी पहुँचाने की संभावित दिवस निम्न प्रकार है। रा0 महसा 6.00 किमी0, रा0 सोनहार 14.00 किमी0, रा0 बाँसा 6.00 किमी0, मा0 पहुँतेरा 3.00 किमी, रा0 महोलिया 9.00 किमी0, मा0 आशापत 7.00 किमी0, मा0 इस्लामाबाद 8.00 किमी0, मा0 रामकोट 8.00 किमी0,मा0 रघूनपुर 3.00 किमी0, मा0 पुरवैली 1.800 किमी0

मा0 बौनरमऊ 2.200 किमी0, रा0 बम्हना 14.00 किमी0, रा0 कुरसठ 14.00 किमी0, मा0 कनिगाँव 5.00 किमी0, मा0 पिसारी 6.00 किमी0

अधीक्षण अभियन्ता भण्डन् मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ के के ज्ञापन संख्या /पत्रांक/दिनांक लिखित नहरो को खरीफ 1425 फसली के सिंचाई एवं टेल फीडिंग के तथ्य से अव्यावहारिक रूप से प्रयुक्त किये जाने के कारण आदेश दिये गये हैं मा0 गौतेरा, मा0 बेल्परा

प्रस्तुत

(राजेश चन्द्र)
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, उन्नाव
फोन–आवास 28205338 कार्यालय 2820537

अग्रसारित

(अतीन्द्र सिंह)
जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव

समीक्षक

(संजीव सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव

अनुमोदित

(अदिति सिंह)
जिलाधिकारी, उन्नाव
फोन–आवास 2820201 कार्यालय : 2820203

Scanned by CamScanner

स्टाफिक 1425 फसली वर्ष 2017–18

प्रभारी अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उन्नाव

क्र.सं.	राजस्व एवं अधिकार	अवर अभियन्ता	लिपिकार	सहायक अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी
1.	हस्तेक्षेप क्षेत्र से किमी 158.40 से 170 किमी मरवारा सोनहार व. तक।	श्री श्रीराम चौरसिया मो0 8765075984 मालिपुर उन्नाव	श्री नन्दा गुप्ता मालिपुर मो0 9451455753	श्री राम नरेश गौतम दुर्गेश उपखण्ड फिरो ग्राम उन्नाव मो0 9450465657	श्री राम शंकर यादव मो0 9450055315 " " " " " "
2.	हस्तेक्षेप क्षेत्र 170 किमी से 190.00 बख्तरा से नरसिंहपुर माठ तक।	श्री राम औतार वर्मा मालिपुर छिरौरा	"	"	
3.	हस्तेक्षेप क्षेत्र 190 किमी से 208 किमी तक सुल्तानपुर माठ एवं राज प्रणाली महोत्तरा	श्री राम औतार वर्मा (एस.पी. कोट)	"	"	
4.	हस्तेक्षेप क्षेत्र 208 किमी तक सुल्तानपुर ग्राम प्रणाली से शाहपुर माठ तक।	श्री राम जीवन वर्मा मो09452107113 शाहपुर	"	"	
5.	हस्तेक्षेप क्षेत्र किमी 214.400 तक 234 तक एवं ग्राम कुरसट एवं अन्य सभी नहरें।	श्री नन्दर लाल मो0 9838388017 मूसा	"	"	
6.	हस्तेक्षेप शाखा किमी 234 से 248–300 तक ग्राम बहरना शफीपुर एवं समस्त नहरें।	श्री जी0 के0 मौर्यसेना मो0 9621733934 सफीपुर	श्री सतबीर सिंह सफीपुर (कार्यवाहक) मो0 8052878812	श्री उमेशचन्द्र प्रथम उप0 फिरो ग्राम उन्नाव मो0 9452533756	" " " " " "

संगठन का नाम : शादरा संगठन
मण्डल का नाम : षष्टम् मण्डल सिंचाई कार्य तखनक
रोस्टर : रोस्टर खरीफ 1425 फसली
दूरभाष : 2820537, 2820538

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड उन्नाव

कृषकों हेतु सूचना

विभाग कर्मचारी
क्या आप जानते हैं कि
(1) नहरों की प्रणालियों में अतिक्रमण करने वाले ऐसे व्यक्ति कौन हैं।
(2) किसी कृषकों की कुल कैसे हजार बैल ऐसे या सरकारी जमीनों लिया कर सकता है।
(3) यदि किसी खेत का कुछ भाग सिंचित तथा और उसकी बाकी भाग एक सिंचित कैसे तथा वे प्रकार के किस गया है तो पूरे खेत पर सिंचित कर लगेगा।
(4) शुल्कित बनाना : किसी नहर में नहर का पानी किसी खेत में नहर की ओर उसी नहर से निजी खेतों में पानी लेकर सिंचाई के लिए कर लगेगा, यदि कोई व्यक्ति नहर से पानी लेकर अधिकारी अभियन्ता सिंचाई विभाग को उपलब्ध आवश्यक से पहले ही सिंचाई कर का भुगतान कर सिंचाई कर अतिरिक्त नहीं होगा। परन्तु इसके बाद नहर से पानी लिया गया तो तो सिंचाई कर का भुगतान सिंचाई कर अतिरिक्त लगेगा।
(5) अवैधान : यदि किसी खेत की सिंचाई अतिरिक्त रूप से की गई हो तो वह खेत का अतिरिक्त का भुगतान कर लगाया जायेगा।
(6) अवैधानिक : यदि नहर का पानी बिना अपने खेत में लाया है तथा नहरों एवं नालियों में अवैध रूप से पानी लेकर अन्य खेतों में लिए नहर प्रणाली का भी हानि पहुंचाता है।
(7) सिंचाई कर के छूट : ऐसे आवश्यकता वाला / पानी / टिकाऊ भाग जहाँ जमीनें में बराबर नहर हो नहरों तो वह अतिरिक्त का पूरा नहीं 50 % व 6 अतिरिक्त का भाग तथा 75 अतिरिक्त के अतिरिक्त का पूरी छूट दी जाती है।
(8) मालवा इलाका : अतिरिक्त खेत ऐसे सिंचित किसान हो तो उसे विभाग के 12 दिन के अन्दर ऐसे इस सिंचित सब तथा तथा पानी किस अतिरिक्त हो तो 30 दिन के अन्दर अधिकारी–गण अधिकारी अधिकारी, तहसीलदार अधिकारी, जिलाधिकारी में लिखी के लिए यदि इन्हाय अन्दर होगा, अन्यथा ऐसे प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के 15 दिन के अन्दर समाप्त न हाहें।

नहर से सम्बन्धित समस्या हेतु निम्न से सम्पर्क करें।

अधिशासी अभियन्ता : नये कृषकों के नाम, सम्बन्ध किसान, खाता तथा स्थान परिवर्तन, नई नहरों तथा नालों का निर्माण एवं संचालन के प्रतिनिधि।
अधिशासी अभियन्ता : नहरों का संचालन तथा व्यवस्थित के सिंचाई एवं पानी के प्रतिनिधि एवं पानी के प्रतिनिधि।
सहायक अभियन्ता : कृषकों के स्थान पर खाता एवं रोस्टर के प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा।
अवर अभियन्ता : नहरों के स्थान पर खाता एवं रोस्टर के प्रतिनिधि।
उपखण्ड अधिकारी : नहरों द्वारा समस्त सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि।
लिपिकार : नहर विभाग, समस्त कृषकगण।
अवर अभियन्ता : नहर पर पानी लेने वाले, खाते, प्रतिनिधि, नहर पर पानी के माध्यम तथा कृषकों के प्रतिनिधि।

सूचना

(क) 1. नहरों के सिंचाई के मुख्य कृषकों के नाम।
2. पानी उपलब्ध नहरों के नाम।
3. पानी लगाने के बदल कृषकों को
4. यदि रोस्टर के अनुसार नहर प्रणाली, नहर के खेतों पर पानी बराबर है तथा न पानी बराबर है तथा पर रोस्टर के अनुसार नहर प्रणाली, किसान के अधिकारी के सम्बन्धी मिला अधिकारी पूर्ति की।
(ख) नहर 1 बार, 2 नहर में बिना अधिशेष न लगाना, 3. अधिक नहर सीमा पानी के अधिकार के अनुसार न लगाना।
4. नहर के सड़क पर टैक्टर / ट्रक फिर अधिक न चलाना।

Scanned by CamScanner

सिंचाई खण्ड, उन्नाव

खरीफ रोस्टर 1425 फसली वर्ष 2017–18 शारदा नहर प्रणाली

सप्ताह प्रारम्भ 27–03–2017 से 18–09–2017 तक

आसीवान ब्रान्च प्रणाली

डिस्चार्ज क्यूसेक में

लम्बाई किमी0 में

क्र0 सं0	नाम नहर प्रणाली	लाभान्वित जनपद	परिकल्पित जनपद	शीर्ष की वर्तमान वास्तविक	लम्बाई किमी0 मुख्य	लम्बाई किमी0 प्रणाली	शीर्ष से चलने का दिन	26.03.2017	02.4.2017	09.04.2017	16.04.2017	23.04.2017	30.04.2017	07.05.2017	14.05.2017	21.05.2017	28.05.2017	04.6.2017	11.6.2017	18.6.2017	25.6.2017	02.07.2017	09.07.2017	16.07.2017	23.07.2017	30.07.2017	06.08.2017	13.08.2017	20.08.2017	27.08.2017	03.09.2017	10.09.2017	17.09.2017
1.	आसीवान शाखा	उन्नाव	743	650	4180	585.30	रविवार	–	–	–	–	550	500	500	–	–	–	550	500	500	500	550	600	500	500	600	550	550	500	500	400	500	500
2.	देवगाँव राजबहा प्रणाली	"	35	35	1380	20.84	प्रातः 8 बजे	–	–	–	–	35	35	35	–	–	–	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	–	35
3.	रसूलाबाद राजबहा प्रणाली	"	50	50	2112	48.30	"	–	–	–	–	50	50	50	–	–	–	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	–	50	50
4.	शुभाशी खेड़ा माइनर	"	6	6	573	4.60	"	–	–	–	–	6	–	6	–	–	–	6	–	6	–	6	6	–	6	6	6	6	–	–	–	6	–
5.	खेरन पुर माइनर	"	4	4	360	2.60	"	–	–	–	–	4	–	4	–	–	–	4	–	4	–	4	4	–	4	4	4	4	–	–	–	4	–
6.	अहमद पुर माइनर	"	4	4	347	3.47	"	–	–	–	–	4	–	4	–	–	–	4	–	4	–	4	4	–	4	4	4	4	–	–	–	4	–
7.	नियागंज माइनर	"	4	4	282	2.82	"	–	–	–	–	4	–	4	–	–	–	4	–	4	–	4	4	–	4	4	4	4	–	–	–	4	–
8.	मल्लौली माइनर	"	20	18	720	14.50	"	–	–	–	–	18	–	18	–	–	–	18	–	18	–	18	18	–	18	18	18	18	–	–	–	17	–
9.	हसनगंज राजबहा	"	52	52	1920	41.50	"	–	–	–	–	50	50	50	–	–	–	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	–	50	50
10.	मुरीगंज माइनर	"	30	4	334	3.34	"	–	–	–	–	–	30	–	–	–	–	30	30	–	30	–	30	30	–	–	30	–	30	30	30	30	30
11.	मुस्तफाबाद राजबहा प्रणाली	"	50	30	1230	–	"	–	–	–	–	30	30	–	–	–	–	–	30	–	30	30	–	30	–	30	–	30	30	30	30	30	30
12.	न्योतनी राजबहा प्रणाली	"	64	50	2002	51.20	"	–	–	–	–	50	–	50	–	–	–	50	–	50	–	50	50	–	50	50	50	50	–	–	–	–	–
13.	भौली राजबहा प्रणाली	"	30	25	1200	21.00	सोमवार	–	–	–	–	25	25	25	–	–	–	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
14.	मदनापुर माइनर	"	4	4	302	3.02	प्रातः 8 बजे	–	–	–	–	4	–	4	–	–	–	4	–	4	–	4	4	–	4	4	4	4	–	–	–	–	–
15.	ओहरापुर माइनर	"	5	5	433	4.33	"	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	5	–	5	–	–	5	–	–	–	–	5	5	5	5	5
16.	डालोतर माइनर	"	6	6	390	3.90	"	–	–	–	–	6	–	6	–	–	–	6	–	6	–	6	6	–	6	6	6	6	–	–	–	–	–
17.	इब्राहिमपुर माइनर	"	4	4	210	2.10	"	–	–	–	–	4	–	4	–	–	–	4	–	4	–	4	4	–	4	4	4	4	–	–	–	–	–
18.	लखनापुर माइनर	"	15	15	651	11.00	"	–	–	–	–	–	15	15	–	–	–	–	15	15	15	–	–	15	15	–	–	–	15	15	15	15	15
19.	अजगेन राजबहा प्रणाली	"	26	25	1012	24.00	"	–	–	–	–	25	25	25	–	–	–	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
20.	जैतीपुर राजबहा प्रणाली	"	40	35	1290	17.80	"	–	–	–	–	35	35	–	–	–	–	35	35	–	35	35	35	35	–	35	35	35	35	35	35	35	35
21.	मीरापा राजबहा प्रणाली	उन्नाव/रायबरेली	230	230	1240	317.55	"	–	–	–	–	100	100	100	–	–	–	100	100	100	100	100	150	100	100	150	100	100	100	100	100	100	100
22.	कुसुम्भी माइनर	उन्नाव	3	3	180	1.80	"	–	–	–	–	3	3	3	–	–	–	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23.	राहरायां राजबहा प्रणाली	"	20	20	1086	22.90	"	–	–	–	–	20	–	20	–	–	–	20	–	20	–	20	–	20	–	20	–	20	–	20	–	20	–
24.	काँसा माइनर	"	5	5	580	5.80	"	–	–	–	–	5	5	5	–	–	–	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
25.	असोह राजबहा प्रणाली	"	25	25	1270	15.20	"	–	–	–	–	25	25	25	–	–	–	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26.	शाहपुर राजबहा प्रणाली	"	40	35	1800	33.20	मंगलवार	–	–	–	–	35	35	35	–	–	–	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
27.	सन्दीली माइनर	"	3	3	360	3.60	प्रातः 8 बजे	–	–	–	–	3	3	3	–	–	–	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28.	बशीरा माइनर	"	8	8	660	6.60	"	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	8	–	8	–	8	–	8	–	8	–	8	–	8	–	8
29.	पारा माइनर	"	9	9	670	6.70	"	–	–	–	–	9	–	9	–	–	–	9	–	9	–	9	–	9	–	9	–	9	–	9	–	9	–
30.	हिलौली राजबहा	"	15	10	1520	15.20	"	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	10	–	10	–	10	–	10	–	10	–	10	–	10	–	10
31.	लखनपुरा माइनर	"	8	8	720	7.20	"	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	8	–	8	–	8	–	8	–	8	–	8	–	8	–	8
32.	लच्छी खेड़ा माइनर	"	3	3	280	2.80	"	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	3	–	3	–	3	–	3	–	3	–	3	–	3	–	3
33.	नरौवक राजबहा प्रणाली	उन्नाव/रायबरेली	20	20	1825	20.25	"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34.	लोटना माइनर	रायबरेली	4	4	620	6.20	"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35.	बनकट माइनर	"	4	4	495	4.95	"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36.	भीतर गाँव माइनर	"	4	4	200	2.00	"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37.	जवई माइनर	"	4	4	660	4.60	"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38.	बरवर माइनर	"	4	4	280	2.80	"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39.	सतनि माइनर	"	4	4	260	2.60	"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40.	कोरिहर माइनर	"	4	4	340	3.40	"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41.	हाजीपुर माइनर	"	4	4	320	3.20	"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42.	नहरों का योग							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43.	हानि एवं शुलाबे							–	–	–	–	100	100	100	–	–	–	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

संकेत – नहरों के सामने अंकित संख्या का तात्पर्य नहर चलाने की क्षमता एवं "–" का तात्पर्य नहर बन्द रहने से है।

1. हरदोई शाखा के इस खण्ड की सीमा भोल 99/0 पर उपलब्ध जल के अनुसार यह रोस्टर तैयार किया है। यदि किसी सप्ताह में अनुमानित की अपेक्षा जल उपलब्धता में कमी होगी तो रोस्टर में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।
2. रोस्टर में दर्शाई गयी नहरों के चलाने में किसी भी कारण से परिवर्तन होने में अथवा किसी भाग में पानी उपलब्ध होने की दशा में उपभोक्ताओं की फसल की क्षतिपूर्ति के लिए सिंचाई विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
3. प्रणाली के ऊपरी सिरों में कृषकों द्वारा अवैधानिक तरीके से सिंचाई करने की दशा में विशेषता निम्नलिखित नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुँचाना संदिग्ध है जिसमें होने वाली किसी प्रकार की क्षति हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा इस क्षेत्र के कृषकों से अनुरोध है कि वे अपने किसी साधनों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें।
जिन नहरों के अन्तिम छोर में पानी पहुँचाना संदिग्ध है। उन पर पानी पहुँचाने की संभावित स्थान निम्न प्रकार है। रा0 मौली 11.00 किमी0, रा0 रसूलाबाद 15.00 किमी0, मा0 रैनापुर 4.00 किमी0, मा0 खरगौरा 4.00 किमी0, मा0 कमालपुर 4.00 किमी0, मा0 पालकपुर 4.00 किमी0, रा0 हसनगंज 17.00 किमी0, रा0 मुरीगंज 16.00 किमी0, मा0 मदनपुर 6.00 किमी0
मा0 धन्नेखुरा 1.00 किमी0, बाजपुर 1.00 किमी0,रा0 मीरापाँ 45.00 किमी0, मा0 बिघपरी 3.00 किमी0, रा0 जैतीपुर 10.00 किमी0,रा0 सहरायाँ 8.00 किमी0, मा0 जाता खेड़ा 3.00 किमी0, रा0 असोह 8.00 किमी0, रा0 शाहपुर 9.00 किमी0, मा0 रामपाल 1.00 किमी0, रा0 हिलौली 2.0 किमी0, मा0 लखनपुरा 1.00 किमी0, मा0 लच्छीखेड़ा 1.00 किमी0
4. अधीक्षण अभियन्ता पश्चिम मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ के ज्ञापन संख्या /पश्चिम/दिनांक लिखित नहरों के खरीफ 1425 फसली के सिंचाई एवं टेल परिक्षेत्र के तथ्य से अवगत्त रूप से प्रकाश किये जाने के कारण आदेश दिये गये है मा0 मलाहाँ, मा0 रूपोली, मा0 सिकरी रा0 गौरी बक मा0 कोरवा, मा0 बनवार, मा0 भोरौर गाँव, मा0 ठाकुई, मा0 बारा, मा0 शाम, मा0 बीरौर, मा0 रामपुर

प्रस्तुत	अग्रसारित	समीक्षक	अनुमोदित
(राजेश चन्द्र)	(अतीन्द्र सिंह)	(संजीव सिंह)	(अदिति सिंह)
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, उन्नाव	जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव	मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव	जिलाधिकारी, उन्नाव
फोन–आवास 2820533 कार्यालय : 2820537			फोन–आवास 2620201 कार्यालय : 2620202

Scanned by CamScanner

रबीफसल 1425 फसली वर्ष 2017–18

प्रभारी अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उन्नाव

क्र.सं.	सावरा एवं अधिकारी	अवर अभियन्ता	निवरीर	सहायक अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी
1.	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उन्नाव मोबाइल नम्बर 8400 से नीचे 10/0 ग्रामीण सावरा एवं पुरवा	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार चौरसिया मो0 9621733934	श्री अखिलेश कुमार कुशमही मो0 9457640054	श्री नारायण कुमार मो0 9555495501	श्री राम शंकर यादव मो0 9450055315
2	अधिशासी अभि0 की 10/0 से 7/0 तक हसनगंज सावरा मुरादाबाद सावरा एवं पुरवा।	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार चौरसिया रस्सूलाबाद	"	श्री नागेन्द्र कुमार सराइ अमी0 बाबूगंज मो0 9415612293	
3	अधिशासी अभि की 17/0 से 26/0 तक चौतरी सावरा मौरी सावरा एवं पुरवा।	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार चौरसिया हसनगंज	श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी जिलेदार नवूर्ग मो0 9454637881		
4	अधिशासी सिंचाई खण्ड उन्नाव सावरा एवं पुरवा तथा अधिशासी सिंचाई खण्ड रायबरेली सावरा एवं पुरवा।	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार चौरसिया कुशमही	श्री राजेन्द्र सिंह मो0 7084048965	"	
5	मौरावाँ उपा0 मौर 2/0 से मौर 9/0 तक सहरवा सावरा, अमोहा सावरा एवं पुरवा।	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार चौरसिया अजगैन	श्री राजीव पाल मो0 9415269186	"	
6	मौरावाँ सावरा मौर 9/0 से 28/0 तक, हिसौली सावरा, शाहपुर सावरा एवं पुरवा।	श्री राजीव कुमार पाल नवाबगंज	श्री रामजीत शाह मौरावाँ मो0 9889010148	"	
7	मौरावाँ सावरा मौर 28/0 से टेर तक एवं गंगाघाट सावरा मय पुरवा।	श्री रामजीत शाह मौरावाँ मो0 9889010148	श्री राजेन्द्र कुमार पाल गुरुबक्शगंज	"	

संगठन का नाम : शारदा संगठन

मण्डल का नाम : षष्टम् मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ

रोस्टर : रोस्टर ख़रीफ 1425 फसली

दूरभाष : 2820537, 2820538

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड उन्नाव

कृषकों हेतु सूचना

किसान भाइयों,

क्या आप जानते है कि

फसल को आवश्यकता से अधिक पानी देने पर कम लाभ होती है।

(1) फसल को आवश्यकता से अधिक पानी देने पर उसमे पानी देना बन्द किया जा सकता है।

(2) किसी कुलाबे की गूल ठीक दशा में न होने पर उसमे पानी देना बन्द किया जा सकता है।

(3) यदि किसी खेत का कुछ भाग सींचा गया और उसके बाकी भाग 15 सेमी0 ऊँची मेड़ से अलग न किया गया हो तो पूरे खेत पर सींच कर लगेगा।

(4) शामिल बरहा : किसी गूल से नहर का पानी किसी खेत में गया हो और उसी गूल से निजी साधन से पानी लेकर सींच की गई हो तो सिंचाई का सींच कर लगेगा। यदि सूखे फसल नहर का पानी न लेना हो तो अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग को फसल आरम्भ से पूर्व ही लिखित रूप से दें। इस अवस्था में शामिल बरहा नहीं होगा। परन्तु इसके बाद नहर से पानी लिया गया हो तो सिंचाई दर का चार गुना दण्ड सिंचाई कर अतिरिक्त लगेगा।

(5) तावान : यदि किसी खेत की सिंचाई अवैधानिक रूप से की गई हो तो सींच कर अतिरिक्त चार गुना तक कर लगाया जायगा।

(6) अवजाया : यदि नहर का पानी बिना बांधे खेत में फैलता है तथा गहराई 15 सेमी0 से अधिक हो तो दुगना, यदि 30 सेमी0 से अधिक हो तो तीन गुना सींच कर जो उस फसल के लिए सबसे अधिक दर का होगा, लगेगा।

(7) सिंचाई कर में छूट : दैवी आपदाओंमे ओल / पाला / टिड्डी / मावठ आदि में फसल नष्ट हो जाये तो 49 प्रतिशत पर कुछ नहीं, 50 से 47 प्रतिशत पर अथा तथा 75 प्रतिशत से अधिक पर पूर्ण छूट सीवकर में देय है।

(8) गलत इलाज : अधिसित खेत यदि सिंचित किया हो तो पर्चा विवरण के 21 दिन के अन्दर यदि जल सींच को तोड़ तथा गलत चिन्ह अंकित हो तो 30 दिन के अन्दर प्रथमेन–पत्र अधिशासी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / उपराजस्व अधिकारी / जिलदार मे से किसी को देना चाहिए अन्यथा अन्याय होगा। ध्यान रहे कि प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के 15 दिन के अन्दर फसल न काटें।

नहर से सम्बन्धित समस्या हेतु निम्न से सम्पर्क करें।

अधीक्षण अभियन्ता : नये कुलाबों की माग, कमाण्ड विभाजन, दखल तथा स्थान परिवर्तन, नई नहरों तथा नालों का निर्माण एवं तावान के अपील।

अधिशासी अभियन्ता : नहरों का संचालन, नहर सम्पत्ति की निलामी एवं भूमि का क्रीकर एवं खादी से हानि, नालों की सफाई तथा नहरी पट्टरी पर वाहन चलाने की अनुमति अवयाजा एवं तावान।

सहायक अभियन्ता : कुलाबों का स्थान एवं दखल की त्रुटि, पानी की माग नहरों की टेलों पर पानी की कमी एवं नहर तथा नालों की सफाई।

उपराजस्व अधिकारी : गलत इलाज, फसल सोखा, मिसमारी गूल।

जिलेदार : पर्चा विवरण, गलत इलाज।

अवर अभियन्ता : टेलों पर पानी कमी, खादी, कटिंग, नहर एवं नालों की सफाई तथा कुलाबों का सही ढंग से लगाना।

सूचना

(क) 1. रबी की सिंचाई से पूर्व गूलों की सफाई करें।
2. पानी उचित गहराई से ही लगायें।
3. पानी लगाने के बाद कुलाबा बन्द करें।
4. यदि रोस्टर के अनुसार नहर आया / नहर में खादी सरी या पल्टे के ऊपर से पानी बहता हुआ देखने पर सीध पात / अवर अभियन्ता या जो भी सिंचाई विभाग के अधिकारी या कर्मचारी मिले अविलम्ब सूचित करें।

(ख) 1. नहर न काटें 2. नहर में बधा / अवरोध न लगायें 3. अधिक तथा शीघ्र पानी के अभिप्राय से कुलाबा न लगायें।
4. नहर की सड़क पर टैक्टर / ट्रक बिना पारमिट न चलायें।

Scanned by CamScanner